न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीठासीन अधिकारी अर्पिता सोनी (आरएएस)

ा संख्या 106/2016 उनवान

मूल्या पुत्र बैजनाथजाति जाट निवासी माहम्मद नगर तहह0 पीपलू वादी

बनाम

रास्थान सरकार तहसीलदार पीपलू प्रतिवादीगण

धेवक्ता वादी :– श्री शकंरलाल चौधरी

धेवक्ता प्रतिवादीगण :– पेरोकार सरकार निर्णय दिनांक :4.1.2018

दावा उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि आराजी भूमि खसरा नं0 2534 रकबा बीधा किस्म जमीन बजंड ग्राम पीपलू में वादी को भूमिहीन कृषक होने के कारण भू वंटन सलाकार समिति केम्प मालपुरा द्वारा विधिवत रूप से दिनांक 12.1.1983 को 375 – रूप्ये प्रति बीधा के हिसाब से कीमतन आवंटन किया जाकर सुपुदर्गीनामा बनाया ाकर मौके पर कब्जा वादी को संभलाया था तथा आवंटन दिनांक से लेकर वादी आज क उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन वादी की उक्त आवंटन भूमि ा वादी के हक में अमल दरामद नही करने से भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड चल रहा है बकि वादी द्वारा सम्पूर्ण कीमतन राशि राज कोष में जमा कराकर 1983 से लगातार ब्जा काश्त चला आ रहा है उावा निाय एक माह पूर्व प्रतिवादीगण के विरूद्व व उनके धिनस्थ कार्मिको द्वारा वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने की कोशिश करने पर पेश किया गया है। अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत उधघोषणा पारित फरमायी ाकर वादी को भूमि ख0न0 2534 रकबा 1 बीधा वाके ग्राम पीपलू का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण की ओर से जरिये पेरोकार सरकार ने वाद अस्वीकार कर सभी तथ्यो को गलत बताते हुए वादी को अतिक्रमण की हेसीयत से काबिज बताते हुए दावा खारिज करने का निवेदन किया है। तथा वादी को प्रतिवर्ष उक्त भूमि से बेदखल किया जाता रहा है व दावा पेश करने से पूर्व धारा 80(2) का नोटिस पेश नही किया है । अतः दावा खारिज फरमाया जावे अतः उक्त वाद में दस्तावेजो के आधार पर निम्न प्रकार तनकी निर्णित की जाती है :–

तनकी नं0 1 :– आया विवादित ख0न0 2534 रकबा 1 बीधा भूमि प्रार्थी को ग्राम पीपलू में 12.1.1983 को कीमतन आवंटन हुई थी जिस पर कब्जाकाश्त आज तक चला आ रहा है। उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादी का है। वादी ने उक्त वाद के संबंध में नकल खसरा गिरदावरी , रिपोर्ट पटवारी हल्का व मौखिक साक्ष्य के आधार पर कब्जा काश्त होने से तनकी नं01 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2 :– आया वादी को उक्त आवंटन भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल दर्ज नही करने से सिवायचक चली आ रही है जिसको राजस्व रेकार्ड में वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे। इस सम्बन्ध में वादी ने आवंटन आदेश की सत्यप्रतिलिपि एवं ब्यान पी0डब्लू0 1 लगायत 4 से साबित है कि प्रार्थी को उक्त भूमि आवंटन हुई थी जिसका अमल नही होने से सिवायचक दर्ज है अतःउपरोक्त आवंटन आदेश व बयानो से वादी उक्त तनकी को सिद्व करने में सफल रहने से तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3 :– आया विवादित आराजी सिवायचक रहने व वादी का कब्जा काश्त नही होने से राजकीय भूमि से प्रतिवर्ष अतिक्रमी की हेसीयत से वेदखल किया जाता हरहा है। उपरोक्त तनकी को सिद्व करने भार प्रतिवादी का था जो कि प्रतिवादी ने ऐसा कोई लिखित साक्ष्य सबूत व दस्तावेजात पेश नही किया गया है जिससे वादी का

उक्त भूमि से आवंटन निरस्त किया जा चुका है व भूमि पर कब्जाकाश्त नही रहा है। अतः तनकी प्रतिवादी विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4 :– आया विवादित भूमि राज्य सरकार की है सरकार के विरूद्व पेश करने से पहले 80 (2) सी0पी0सी0 का नोटिस नही देने से दावा खारिज योग्य है । उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादी ने वादी द्वारा दावा पेश करने के उपरान्त ही प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था लेकिन दावा में कोई तथ्य नही उठाया गया जवाब पेश कर दिया गया और जब कब्जा बाबत रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने कब्जा प्रार्थी का दर्शया गया है। इस कारण तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में आशिक निर्णित की जाती है।

हमने बहस अभिभाषक व पेरोकार सुनी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी आवंटन आदेश दिनांक 12.1.1983 व खसरा गिरदावरी मौखिक साक्ष्य पीडब्लू 1, 2, 3, 4 से साबित है कि प्रार्थी का आवंटन आज भी बदस्तुर है ,किन्तु आवंटन आदेश का राजस्व रेकार्ड में अमल नही होने से सिवायचक दर्ज है तथा मौके पर कब्जा काश्त प्रार्थी का ही चला आ रहा है । अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत उधघोषणा पारित फरमायी जाकर वादी को भूमि ख0न0 2534 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम पीपलू का गैर खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा तहसीलदार पीपलू को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रेकार्ड में मुताबिक निर्णय अनुसार गैर खातेदारी का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे ।

निर्णय आज दिनांक 4.1.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी पीपलू